भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2660

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सीमावर्ती पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

2660. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कासरगोड की सीमावर्ती पंचायतों में अस्थायी मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच में कमियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र-सहायता प्राप्त आजीविका और बीमा-संबंधी योजनाओं के अंतर्गत नामांकन अभियान चलाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान इसमें कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया और कुल कितने भुगतान जारी किए गए?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत की सीमावर्ती पंचायतों में अस्थायी श्रमिकों और दिहाड़ी श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह योजना कासरगोड सहित देश भर में असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक 3000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है।

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं वो इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। मासिक अंशदान राशि लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर रु. 55/- से रु. 200/- रुपये है। योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। पात्र असंगठित श्रमिक पोर्टल www.maandhan.in पर जाकर स्वयं नामांकन भी कर सकते हैं।

पीएम-एसवाईएम योजना में 2024-25 से वास्तविक व्यय और पंजीकरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**वर्ष**	**पीएमएसवाईएम राशि के लिए (रुपए करोड़ में)**	**पीएम-एसवाईएम के तहत पंजीकरण**
1	2024-25	232.11	1,27,436
2	2025-26	127.60 (11.12.2025 तक)	61,640 (10.12.2025 तक)
	कुल	359.71	1,89,076

(ख) ईएसआईसी ने ईएसआईसी के तहत कवरेज के बारे में जागरूकता पैदा करने और सभी राज्यों में सभी कवर नहीं किए गए नियोक्ताओं को ईएसआईसी के तहत अपनी इकाइयों को पंजीकृत करने के लिए एकबारगी अवसर प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों (एसपीआरईई) के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू की है। जिसमें उन्हें कोई पिछला रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने या पहले से कवर की गई इकाइयों के लिए नए कर्मचारियों को पंजीकृत करने की सुविधा देती है।

सरकार अस्थायी श्रमिकों और दिहाड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न आजीविका और बीमा योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है - (i) पीएम विश्वकर्मा (ii) पीएमएसवीए निधि (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (iv) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (v) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (vi) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (vii) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अन्य।

कौशल को बढ़ाने और असंगठित श्रमिकों के लिए प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ईश्रम पोर्टल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिक अब एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

विभिन्न केंद्रीय सहायता प्राप्त आजीविका और बीमा से जुड़ी योजनाओं के तहत समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। ये गतिविधियां संबंधित मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों, बैंकों, बीमा संस्थानों और फील्ड स्तर के अधिकारियों के माध्यम से चलाई जाती हैं।

वर्तमान में सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान पुन: केवाईसी, पीएमजेडीवाई खाते खोलने, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत नामांकन पर केंद्रित है।

*****